दिनांक 19.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 333/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद चन्दौली के सभी 16 पुलिस थानों को प्राप्त हुआ ISO 9001:2015 एवं IS 15700:2018 प्रमाणन तथा जीआरपी थाना आजमगढ़ को मिला ISO अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र

- **देश में पहली बार** किसी जनपद के सभी पुलिस थानों को एक साथ **भारतीय मानक ब्यूरो** (BIS) द्वारा **ISO 9001:2015 एवं IS 15700:2018 प्रमाण-पत्र प्रदान** किया गया।
- **ISO 9001:2015 एवं IS 15700:2018 प्रमाणन** पुलिस सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक संतुष्टि एवं समयबद्ध सेवा वितरण के उच्च मानकों की संस्थागत मान्यता है।
- **भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की उप महानिदेशक श्रीमती स्नेहलता** द्वारा पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।
- **जीआरपी थाना आजमगढ़ (अनुभाग गोरखपुर)** को उत्कृष्ट पुलिसिंग, प्रभावी प्रशासनिक प्रबंधन एवं नागरिक-केंद्रित सेवाओं के लिए **ISO 9001:2015** अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र प्राप्त हुआ।
- पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** ने चन्दौली पुलिस एवं जीआरपी आजमगढ़ की टीम को बधाई देते हुए इसे गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं जन-केंद्रित पुलिसिंग की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश **श्री योगी आदित्यनाथ जी** के दूरदर्शी मार्गदर्शन एवं पुलिसिंग में सतत् सुधार के निर्देशों के प्रभावी अनुपालन में पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश **श्री राजीव कृष्ण** के कुशल नेतृत्व, सतत् मॉनिटरिंग तथा गुणवत्ता-आधारित पुलिसिंग को बढ़ावा देने के प्रयासों के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुणवत्ता प्रबंधन एवं जन-केंद्रित पुलिस सेवाओं के क्षेत्र में दो महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ अर्जित की हैं।

जनपद चन्दौली के सभी 16 पुलिस थानों को प्राप्त हुआ ISO 9001:2015 एवं IS 15700:2018 प्रमाणन

जनपद चन्दौली ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि अर्जित करते हुए अपने सभी 16 पुलिस थानों को ISO 9001:2015 (Quality Management System) एवं भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के IS 15700:2018 (Service Quality Management System) मानकों के अंतर्गत प्रमाणित कराया है।

आज भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) की उप महानिदेशक (Deputy Director General) **श्रीमती स्नेहलता** द्वारा पुलिस मुख्यालय, उत्तर प्रदेश में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, **श्री राजीव कृष्ण** को यह प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया।

उल्लेखनीय है कि **देश में पहली बार किसी जनपद के सभी पुलिस थानों को एक साथ BIS के IS 15700:2018 मानक एवं ISO 9001:2015 मानक के अंतर्गत प्रमाणन प्राप्त हुआ है।** यह उपलब्धि पुलिस सेवाओं में गुणवत्ता, पारदर्शिता, जवाबदेही, नागरिक संतुष्टि तथा समयबद्ध सेवा वितरण के उच्च मानकों को संस्थागत रूप से स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

वर्तमान पुलिस अधीक्षक चन्दौली **श्री आकाश पटेल** एवं **श्री आदित्य लांग्हे** पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद (पूर्व पुलिस अधीक्षक चंदौली) के मार्गदर्शन में जनपद के सभी पुलिस थानों में मानकीकृत प्रक्रियाओं को लागू करने, आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने, अभिलेख प्रबंधन को व्यवस्थित बनाने, जनसुविधाओं में सुधार करने तथा सेवा गुणवत्ता मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली विकसित करने के लिए व्यापक अभियान चलाया गया। उनके नेतृत्व में नियमित समीक्षा, प्रशिक्षण, आंतरिक ऑडिट तथा सतत् मॉनिटरिंग के माध्यम से प्रमाणन की सभी आवश्यकताओं का सफलतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया गया।

उत्कृष्ट पुलिसिंग एवं गुणवत्ता प्रबंधन के लिए जीआरपी थाना आजमगढ़ को प्राप्त हुआ ISO 9001:2015 (Quality Management System) अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र

राजकीय रेलवे पुलिस (GRP) द्वारा जनोन्मुखी, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण पुलिस सेवाओं के सतत् सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के रूप में जीआरपी थाना आजमगढ़ (अनुभाग गोरखपुर) को ISO 9001:2015 (Quality Management System) अंतर्राष्ट्रीय प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है।

ISO प्रमाणन यह दर्शाता है कि जीआरपी थाना आजमगढ़ ने अपनी कार्यप्रणालियों एवं सेवाओं को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुरूप विकसित करते हुए पुलिस सेवाओं को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं नागरिक-केंद्रित बनाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। यह उपलब्धि थाना स्तर पर कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों की प्रतिबद्धता, अनुशासन, कार्यकुशलता तथा सेवा भावना का प्रतिफल है।

उक्त प्रमाण-पत्र पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश श्री राजीव कृष्ण द्वारा प्रभारी निरीक्षक जीआरपी आजमगढ़ श्री नासिर हुसैन को प्रदान किया गया। इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक रेलवे श्री प्रकाश डी. एवं जीआरपी के अन्य अधिकारी गण उपस्थित रहे।

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त उपलब्धि के लिए जनपद चन्दौली पुलिस, विशेष रूप से पुलिस अधीक्षक श्री आकाश पटेल एवं उनकी टीम तथा जीआरपी आजमगढ़ के प्रभारी निरीक्षक श्री नासिर हुसैन एवं उनकी पूरी टीम को हार्दिक बधाई दी गई। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी एवं जन-केंद्रित पुलिसिंग उत्तर प्रदेश पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि चन्दौली पुलिस एवं जीआरपी आजमगढ़ भविष्य में भी इसी समर्पण, संवेदनशीलता एवं पेशेवर उत्कृष्टता के साथ नागरिकों एवं यात्रियों को बेहतर पुलिस सेवाएँ प्रदान करते हुए प्रदेश के अन्य जनपदों एवं इकाइयों के लिए प्रेरणास्रोत बनेंगे।

मुख्यालय
SQMS
SQMS
SQMS

मुख्यालय
RAJEEV KRISHNA

दिनांक 19.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 334/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की कानपुर इकाई द्वारा की गयी ट्रैप की कार्रवाई

मा० मुख्यमंत्री उ0प्र0, **श्री योगी आदित्यनाथ जी** द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध **"जीरो टॉलरेंस"** की नीति तथा पुलिस महानिदेशक उ0प्र0, **श्री राजीव कृष्ण** के सख्त निर्देशों के अनुपालन में सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 द्वारा निरंतर प्रभावी एवं कठोर कार्रवाई की जा रही है।

उक्त निर्देशों के क्रम में आज दिनांक 19.06.2026 को **सतर्कता अधिष्ठान, उ0प्र0 की कानपुर इकाई** द्वारा शिकायतकर्ता से खेत को बराबर करने हेतु खेत की मिट्टी को प्लाट में डालने की परमीशन के एवज में अवैध धनराशि की मांग के सम्बन्ध में की गयी शिकायत पर सतर्कता अधिष्ठान कानपुर सेक्टर की ट्रैप टीम द्वारा सरकारी आवास-टी-3/21 आफीसर्स कॉलोनी फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद से **1-श्री संजय प्रताप (सहायक भूवैज्ञानिक,खनन अधिकारी) फतेहगढ़ जनपद फर्रूखाबाद** व **2-लखन सिंह (प्राइवेट व्यक्ति)** को **24 हजार रूपये रिश्वत** लेते हुए गिरफ्तार कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

दिनांक 19.06.2026
प्रेस विज्ञप्ति 335/2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त घायल/मृत**
- **01 अवैध पिस्टल मय 09 जीवित, 06 खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद**

दिनांक 18/19.06.2026 की रात्रि थाना हापुड़ देहात व हापुड़ नगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर सादिकपुर गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर जंगल ग्राम गोंदी के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फयारिंग कर दी। बदमाश द्वारा की गई फायरिंग में मुख्य आरक्षी मनोज कुमार घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त श्याम घायल हो गया, जिसके कब्जे से 01 अवैध पिस्टल मय 09 जीवित, 06 खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) बरामद हुए। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। जहाँ पर इलाज के दौरान चिकित्सक द्वारा अभियुक्त श्याम को मृत घोषित कर दिया गया।

उल्लेखनीय है कि मृत अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी था, जिसके विरूद्ध जनपद मुरादाबाद, हापुड़ के विभिन्न थानो में डकैती, लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। मृत अभियुक्त थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु परिक्षेत्र स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

मृत अभियुक्त

1–श्याम निवासी सुरजपुर थाना पटवाई जनपद रामपुर, हालपता महालक्ष्मी कॉलोनी रूद्रपुर जनपद उधमसिंह नगर उत्तराखण्ड।

बरामदगी

1—01 अवैध पिस्टल मय 09 जीवित, 06 खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना कविनगर

- **25—25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 968.50 ग्राम पीली धातु (पिघले हुए आभूषण व ठोस टुकड़े)**
- **01 फ्लेम सिलेंडर**
- **01 कुठली (सोना पिघलाने का पात्र)**
- **01 छोटी सॅड़सी**
- **05 हजार रूपये नगद बरामद**

दिनांक 19.06.2026 को थाना कविनगर व स्वाट की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नया गाजियाबाद रेलवे स्टेशन वाली रोड पर बने रैन बसेरा के पास से 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्तों 1—चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू 2—अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 968.50 ग्राम पीली धातु (पिघले हुए आभूषण व ठोस टुकड़े), 01 फ्लेम सिलेंडर, 01 कुठली (सोना पिघलाने का पात्र), 01 छोटी सॅड़सी, 05 हजार रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना कविनगर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25—25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कविनगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—चितरंजन कुमार उर्फ चिंटू हाल निवासी सत्यनगर कस्बा रोड थाना मोदीनगर, गाजियाबाद।

2—अभियुक्ता।

बरामदगी

1–चोरी के 968.50 ग्राम पीली धातु (पिघले हुए आभूषण व ठोस टुकड़े)।

2–01 फ्लेम सिलेंडर।

3–01 कुठली (सोना पिघलाने का पात्र)।

4–01 छोटी सॅड़सी।

5–05 हजार रूपये नगद।

जनपद फिरोजाबाद/थाना शिकोहाबाद

- **पुलिस कार्यवाही में 03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के माल ब्रिकी के 19 लाख रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 19.06.2026 को थाना शिकोहाबाद, एसओजी व सर्विलास की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छीछामई नगर के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–सुमित उर्फ भोला घायल हो गया, जिसे अभियुक्त 2–नीरज 3–कौशेन्द्र सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के माल ब्रिकी के 19 लाख रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 12.06.2026 को थाना शिकोहाबाद क्षेत्रान्तर्गत बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल की बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये लूट की घटना से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त सुमित उर्फ भोला के विरूद्ध जनपद फिरोजाबाद, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, लूट व आर्म्स एक्ट आदि के 16 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना शिकोहाबाद पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुमित उर्फ भोला निवास कामबक्सपुर थाना नोलेजपार्क ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

2–नीरज निवासी कामबक्षपुर थाना नोलेजपार्क ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

3–कौशेन्द्र निवासी ग्राम गुरजाडेरीन थाना नोलेजपार्क ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लूट के माल ब्रिकी के 19 लाख रूपये नगद।

2–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

जनपद औरैया/थाना अजीतमल

- **02 अभियुक्तों गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के माल ब्रिकी के 02 लाख रूपये नगद बरामद**

दिनांक 18.06.2026 को थाना अजीतमल पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नगला भोज गांव मोड़ के पास से 02 अभियुक्तों 1–सज्जन सिंह 2–बृजेश कुमार को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के माल ब्रिकी के 02 लाख रूपये नगद बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना अजीतमल क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना अजीतमल पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित हैं। गिरफ्तार अभियुक्त सज्जन सिंह के विरूद्ध जनपद औरैया, कानपुर देहात व मैनपुरी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स

एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 27 अभियोग व अभियुक्त बृजेश कुमार के विरूद्ध जनपद औरैया, कानपुर देहात व मैनपुरी के विभिन्न थानों पर चोरी, आर्म्स एक्ट, व गैंगेस्टर एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना अजीतमल पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सज्जन सिंह निवासी नन्दपुर थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

2–बृजेश कुमार निवासी निमझना थाना दिबियापुर जनपद औरैया।

बरामदगी

1–चोरी के माल ब्रिकी के 02 लाख रूपये नगद।

- **जनपद फतेहपुर/थाना हथगांव (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 14 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना हथगांव पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–साबिर अली को धारा 147/148/302/149/307 भादवि, 7 सीएलए एक्ट व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 43 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–शरीफ 3–रईश 4–सफीक 5–संजय 6–वाजिद अली 7–सादिक अली 8–मुर्रा उर्फ मोईन 9–रईश 10–सगीर 11–निहालुद्दीन 12–इशराइल 13–अशोक व 14–सुरेश उर्फ मुन्नू को धारा 147/148/302/149/307 भादवि व 7 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 38–38 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद आजमगढ़/थाना फूलपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद आजमगढ़ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना फूलपुर पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–मो0कासिम को धारा 302/34 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त 2–मो0फहीम को धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सोनभद्र/थाना रायपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 01 लाख 15 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना रायपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/498ए भादवि व 3/4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त मनोज को आजीवन कारावास व 01 लाख 15 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————